बी. एस. वालिया से पहले, जे.

सुमन सिन्हा और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

बालदेव और अन्य-2014 में -उत्तरदाता

सीएम संख्या 14455-सी. आई. आई. 2014 का
एफ. ए. ओ. सं. 2747 (ओ एंड एम) 2001 का

04 दिसंबर, 2018

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O. 41 Rl.27-मोटर वाहन अधिनियम, 1988-अपीलीय न्यायालय किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य या गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति दे सकता है ताकि किसी भी महत्वपूर्ण वाद **के लिए या निर्णय देने के लिए जांच की जा सके-लाइसेंस जो उचित मुआवजा देने के लिए पहले पेश नहीं किया जा सका था, स्पष्ट रूप से शब्द पर्याप्त कारण की परिभाषा के भीतर आता है-इसलिए, मुआवजे को बढ़ाया गया था और बीमा कंपनी को अपीलकर्ता-दावेदारों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।**

अभिनिर्धारित कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए रु 7,29,500/- रुपये के मुआवजे के बजाय अधिनिर्णय के अपीलकर्ताओं/दावेदारों को रु12,21,000- ब्याज के साथ, दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हकदार माना जाता है यदि पहले से कोई भुगतान किया गया है तो कम राशि।

(पैरा 17)

आगे अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित अपने शेयरों के अनुपात में मुआवजे के अधिनिर्णय के हकदार होंगे। 40, 000/- प्रत्येक मृतक की पत्नी और बच्चों को पति/पत्नी/माता-पिता के संघ के नुकसान के लिए अर्थात अपीलार्थी Nos.1 से 3।बीमा कंपनी प्रणय सेठी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भविष्य की संभावनाओं के लिए कर देयता, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद अपीलार्थियों को भुगतान करेगी।

(पैरा 18)

कंवरदीप सिंह, अधिवक्ता
एस. एस. नरूला, अधिवक्ता
अपीलार्थियों के लिए।

विनोद चौधरी, अधिवक्ता
प्रतिवादी नं. 3 के लिए।

B.S.WALIA, जे. मौखिक

2014 का सी. एम. सं. 14455-सी. आई. आई.

(1) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, इसकी अनुमति है।पक्षों के विद्वान वकील की सहमति से, अपील आज ही स्वीकार की जाती है।

2001 का सी. एम. सं. 14634-सी. आई. आई.

(2) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, इसकी अनुमति है।अपील को फिर से दायर करने में 271 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

2001 की एफ. ए. ओ. संख्या 2747 (ओ. एंड. एम.)

(3) अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसे धारा 151 सी. पी. सी. (2001 की सी. एम. No.14635-CII) के साथ पढ़ा गया था ताकि प्रतिवादी संख्या 1 यानी उल्लंघनकारी वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को इस आधार पर रिकॉर्ड में रखा जा सके कि प्रतिवादी संख्या 1 का ड्राइविंग लाइसेंस बाद में ही आवेदकों-अपीलकर्ताओं के संज्ञान में आया और इस बीच बीमा कंपनी को ज्ञात मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पानीपत (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दायित्व से मुक्त कर दिया गया था।प्रार्थना यह है कि चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस जिसे अब अभिलेख पर रखने की मांग की गई है, वह आवेदकों-अपीलार्थियों की जानकारी में नहीं था, इसके अलावा निर्णय की घोषणा और पर्याप्त न्याय करने के लिए यह आवश्यक है, इसलिए इसे अभिलेख पर रखने की अनुमति दी जाए।

(4) आवेदन की सूचना प्रतिवादी Nos.1 और 2 यानी चालक और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को जारी की गई थी, लेकिन कोई भी उनकी ओर से उपस्थित नहीं हुआ है दिनांक 10.01.2018 समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा के बावजूद कोई भी उनकी ओर से उपस्थित नहीं हुआ है।तदनुसार, 30.01.2018 दिनांकित आदेश के अनुसार, प्रतिवादी Nos.1 और 2 को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया था।

(5) उचित परिश्रम के अभाव के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए आवेदन का विरोध करते हुए बीमा कंपनी/प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी द्वारा जवाब दायर किया गया है।पक्षकारसभक विद्वान वकील द्वारा न्यायालय के ध्यान मे चालक और मालिक द्वारा विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया ।आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि यदि अपीलीय न्यायालय को किसी दस्तावेज को पेश करने की आवश्यकता है या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता है ताकि वह निर्णय देने में सक्षम हो सके, या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए, तो अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दे सकता है।मेरे विचार से बीमा कंपनी द्वारा अपनाया गया अति तकनीकी दृष्टिकोण योग्यता स्वीकृति एक सामाजिक कल्याण कानून है विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की पृष्ठभूमि में जिसका उद्देश्य एक दावेदार को न्यायसंगत और उचित मुआवजा प्रदान करना सुनिश्चित करना है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन के माध्यम से रिकॉर्ड में प्रस्तुत लाइसेंस, जिसे सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पढ़ा जाता है, न्यायालय के लिए न्यायसंगत मुआवजे के दावे के संबंध में निर्णय देने के लिए आवश्यक है।न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के लिए पहले प्रस्तुत नहीं किए जा सके गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से पर्याप्त कारण शब्द की परिभाषा के भीतर आता है।मामले का एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर करने पर, प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आवेदन को सत्यापित करने के साथ-साथ जवाब दाखिल करने के लिए भी समय मांगा। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी की ओर से भी यह स्वीकार किया गया था कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन पर्याप्त न्याय करने और अदालत को मामले में निर्णय देने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से था।प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी द्वारा उल्लंघनकारी वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन के लिए की गई कवायद के अनुसार, प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को अदालत के सामने पेश किया गया है।वही रिकॉर्ड पर लिया जाता है।उसके अवलोकन से पता चलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण और उस व्यक्ति का नाम जिसे वह जारी किया गया था।उल्लङ्घन करने वाले वाहन का चालक है, जैसा कि प्रत्यर्थी No.3/Insurance कंपनी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, आगरा से सत्यापित किया गया है।एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के माध्यम से अपीलकर्ताओं द्वारा जिस ड्राइविंग लाइसेंस पर भरोसा किया गया है, वह वैध है, अगर प्रतिवादी संख्या

3/बीमा कंपनी के अति तकनीकी दृष्टिकोण को प्रबल करने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्याय का उपहास होगा।तदनुसार, आवेदन की अनुमति है और धारा 151 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन के साथ संलग्न ड्राइविंग लाइसेंस को अनुलग्नक पी-1 के रूप में रिकॉर्ड में लिया जाता है।

(6) मृतक शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता द्वारा अपील दायर की गई है, जोकि दिनांक 21/03/1995 को दुर्घटना में मारा गया। जिसमें भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ पारंपरिक शीर्षों के तहत उचित मुआवजे के लिए आय में वृद्धि करके मुआवजे में वृद्धि की मांग की गई है।अपील इस आधार पर भी दायर की गई है कि हालांकि मृतक पर पांच आश्रित थे, लेकिन कटौती 1/3 की दर से की गई थी, जबकि यह मृतक की स्थापित आय से 1/4 की दर से की जानी चाहिए थी।अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए।अंत में यह तर्क दिया गया है कि बीमा कंपनी का इस आधार पर दोषमुक्त होना कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक का लाइसेंस रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया था, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था क्योंकि लाइसेंस प्राधिकरण, आगरा द्वारा उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को जारी किए गए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का बाद में पता लगाया गया था।

(7) मृतक मेसर्स रेणु इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम और शैली में एक ठेकेदार-जहाज का व्यवसाय चला रहा था।हालाँकि दावा की गई आय रु। 7, 000/- से रु। 10, 000/- प्रति माह, फिर भी न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मृतक की आय का आकलन रु। 5, 000/- प्रति माह।इसके बाद, '18' के गुणक को लागू करके और मृतक की स्थापित आय से उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती करके और आगे 5 लाख रुपये की राशि प्रदान करके। संपत्ति के नुकसान के कारण 2500/- रु। 2, 000/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए और रु। संघ के नुकसान के कारण 5,000/- रुपये का कुल मुआवजा दिया गया। 7,29,500/- पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज @12 प्रतिशत प्रति वर्ष के साथ।

(8) निर्णय के अनुच्छेद No.61 (iv) को ध्यान में रखते हुए **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, वहां मुआवजे की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के कारण मृतक की स्थापित आय का 40 प्रतिशत कर रहित घटक जोड़ा जाना है।

(9) चूंकि तत्काल मामले में मृतक कार्यरत था और उसकी आयु 28 वर्ष थी, इसलिए मुआवजे की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के कारण मृतक की स्थापित आय का 40 प्रतिशत कर घटक को घटाकर जोड़ा जा सकता है।इस स्तर

पर, प्रत्यर्थी No.3/Insurance कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक की आयु 28 वर्ष थी, इसलिए, **सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य** सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार '17' का गुणक लागू होगा जबकि '18' का गुणक विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया गया था।सरला वर्बमा के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ No.21 के अनुसार, जहां मृतक की आयु 26 से 30 वर्ष के बीच थी, '17' का गुणक लागू होता है।

(10) चूंकि, यह माना जाता है कि मृतक की आयु मृत्यु की तारीख को 28 वर्ष थी, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित '18' के मुकाबले '17' का गुणक लागू होगा।

(11) जहां तक परंपरा शीर्षों के तहत उचित मुआवजे का संबंध है, प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ No.61 (viii) के अनुसार, मुआवजे के रूप में रु। 15, 000/-, रु। 40, 000/- और रु। 15, 000/- क्रमशः संपत्ति के नुकसान, संघ के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए दिए जाने हैं।

(12) प्रणय सेठी के मामले (ऊपर दिए गए) में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उपनाम चुहरू राम** में निर्णय सिविल अपील No.9581 2018 का में 18 सितंबर, 2018 को निर्णय लिया कि "कंसोर्टियम" एक समग्र शब्द है जिसमें 'स्पौसल कंसोर्टियम', 'पेरेंटल कंसोर्टियम' और 'फिलियल कंसोर्टियम' शामिल हैं। 40, 000/- मृतक के पिता और बहन को संतान संघ के नुकसान के कारण।

(13) तदनुसार, अपीलकर्ताओं को अभिनिर्धारित किया गया अधिनिर्णय का हकदार माना जाता है। 15, 000/- संपत्ति के नुकसान के कारण और रु। 15, 000/- अंतिम संस्कार के खर्च के कारण।संघ के नुकसान के संबंध में, अपीलार्थी No.1-wife और दो बच्चे यानी अपीलार्थी Nos.2 और 3 रुपये के हकदार हैं। 40, 000/- प्रत्येक पति/पत्नी/माता-पिता के संघ के नुकसान के कारण।

(14) इसके अलावा, चूंकि मृतक अपने पीछे पांच आश्रितों को छोड़ गया है, इसलिए सरला वर्मा के मामले में निर्णय के पैराग्राफ नंबर 14 के संदर्भ में (ऊपर) कटौती मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए@ 1/4 वें नंबर पर की जानी है न कि @1/3 वें नंबर पर।

(15) तदनुसार, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित 1/3 वें हिस्से की तुलना में 1/4 वें हिस्से पर की जानी है।

(16) परिस्थितियों में, मुद्दा संख्या 3 पर विद्वत न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को उलट दिया जाता है और अपीलकर्ताओं/दावेदारों को निम्नलिखित मुआवजे का हकदार माना जाता हैः

Sr.No	मुखिया।	न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि
1	आमदनी	रु. 5000/-	रु. 5000/-
2	भविष्य की संभावनाएं	नील	रु. 2000/- (रुपये का 40 प्रतिशत। 5000)
3	कुल आय	रु. 5000/-	रु. 7000/-
4	गुणक लागू किया गया	18	17
5	कटौती	1/3 वें रु. 5000 का- यानी रु 1667/-	1/4 वें रु 7000 का अर्थात रु. 1750/-
6	निर्भरता	रु. 3333x12x18 = रु। 7,19,928-(रु. 7,20,000-)	रु. 5250x12x17 = रु। 10,71,000 -
7	पति-पत्नी संघ का नुकसान	रु. 5000/-	रु. 40, 000/- (आवेदन संख्या 1-पत्नी)
8	माता-पिता के संघ का नुकसान	नील	रु. 80, 000/- यानी रु। 40, 000/- प्रत्येक अपीलार्थी को Nos.2 और 3.
9	संपत्ति का नुकसान	रु. 2500/-	रु. 15, 000/-
10	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 2000/-	रु. 15, 000/-
	कुल	रु. 7,29,500 -	रु. 12,21,000 -

(17) तदनुसार, रुपये के मुआवजे की तुलना में। 7,29,500-न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त, अपीलकर्ताओं/दावेदारों को रुपये के मुआवजे के अधिनिर्णय का हकदार माना जाता है। 12,21,000-प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ, भुगतान की तारीख तक दावा याचिका दायर करने की तारीख से, यदि कोई पहले से ही भुगतान की गई है।कम राशि

(18) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी पहले 5 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित अपने शेयरों के अनुपात में मुआवजे के अधिनिर्णय के हकदार होंगे। 40, 000/- प्रत्येक मृतक की पत्नी और बच्चों को पति/पत्नी/माता-पिता के संघ के नुकसान के लिए अर्थात अपीलार्थी Nos.1 से 3।बीमा कंपनी प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भविष्य की संभावनाओं के लिए कर देयता, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद अपीलार्थियों को भुगतान करेगी।

(19) तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 15.03.2000 के अधिनिर्णय को ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेशय के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीता शर्मा
अनुवादक